

NOs
112/18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

पत्रांक - 242

दिनांक - 01.02.18

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, धनबाद।

विषय :- गोविन्दपुर-टुण्डी-गिरिडीह पथ में कुल 16.8063 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक- वन भूमि- 22/2017-427व०प०, रांची दिनांक- 29.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि धनबाद वन प्रमण्डल के अन्तर्गत गोविन्दपुर-टुण्डी-गिरिडीह पथ निर्माण हेतु धनबाद वन प्रमण्डल के अन्तर्गत कुल 14.92 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है, जिसकी शर्त संख्या 2 के अनुपालन में NPV गणना निम्नवत है :-

- (i) प्रमण्डल में प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा = 14.92 हे०
- (ii) प्रस्तावित वन भूमि पर वनों का घनत्व = 0.4
- (iii) NPV की इकाई राशि (0.4 घनत्व वाले वन भूमि की) = 8.03 लाख/हे०
- (iv) NPV की कुल राशि = $14.92 \times 8.03 = 119.808$ लाख

अतः अनुरोध है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के निर्देशानुसार उक्त राशि CAMPA खाता में Online चालान से e-payment module के माध्यम से अविलम्ब समर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन

Chandra
01.02.18
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
धनबाद।



SAVE SAL TREE



SAVE JHARKHAND



कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट-पचम्बा, जिला-गिरिडीह, पीन कोड-815316

email-dfogiridiheast@jharkhandmail.gov.in, dfogir@ymail.com, Phone No.-06532-222127

पत्रांक-265

दिनांक-01-02-2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, गिरिडीह।

विषय - गोविन्दपुर-टुण्डी-गिरिडीह पथ में कुल 16.8063 हे० वन भूमि का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग - सरकार के उप सचिव, झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-वनभूमि-22/2017-427 व०प० दिनांक-29.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि विषयोक्त प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा कुल 14 (चौदह) शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपयोजित होने वाले 1.8863 हे० वन भूमि के संदर्भ में निम्नांकित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

कंडिका :- ख सिविल रीट याचिका सं०-WP(c) 202/1995 में दिनांक-28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप इस प्रमण्डल के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में अपयोजित होने वाले 1.8863 हे० (वन भूमि का घनत्व 0.2, Eco Class 3) वन भूमि का NPV 626000 x 1.8863 = 1180824.00 (ग्यारह लाख अस्सी हजार आठ सौ चौबीस) रुपये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के निर्देशानुसार उक्त राशि कैम्पा खाता में Online E-payment से जमा करते हुए चालान की सत्यापित प्रति समर्पित करने की कृपा की जाय।
उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित कंडिकाओं का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Under Taking) समर्पित करें।

कंडिका :- क
कंडिका :- ग
कंडिका :- घ
कंडिका :- ङ
कंडिका :- च
कंडिका :- छ
कंडिका :- ज
कंडिका :- झ
कंडिका :- ञ
कंडिका :- ट
कंडिका :- ठ
कंडिका :- ड

अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा लगाये गये उक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन 07 (सात) प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करने की कृपा की जाय। ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सकें।

आपका विश्वासी,



वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

1/2/18